

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>पप्पूराम बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं0 08 / 2024 (ऑन लाईन 353075448973515)</p> | <p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>27.02.24</p> | <p>अपीलार्थी पप्पूराम उर्फ प्रदीप विश्नोई पुत्र गोरधनराम, पता ग्राम देसुरिया विश्नोईयान तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.01.24 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत मणाई, पंचायत समिति केरु जिला जोधपुर में दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 30.09.2023 तक के समय ग्राम पंचायत में बैठक प्रस्ताव रजिस्टर की सम्पूर्ण पत्रावली , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण) को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया गया तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण) से जरिये पत्रांक 147 दिनांक 27.02..2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत मणाई से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत मणाई) को इस कार्यालय के पत्र संख्या 65 दिनांक 03.01.2024 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत मणाई से संबंधित होने के कारण संबंधित लोक सूचना अधिकारी को विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा लोक सूचना अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मणाई) के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत मणाई है, न कि जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)। अतः अपीलार्थी को सूचना प्राप्त करने के लिए सरपंच, ग्राम पंचायत मणाई के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। उपरोक्त विवेचनानुसार यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |